

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / 2016 / 38-1
प्रति.

रायपुर, दिनांक 31/3/2016

प्राचार्य,
समरस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :- "महाविद्यालयीन पंचमुखी विकास कार्यक्रम" के कियान्वयन के संबंध में।

राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं, पालकों एवं प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के लिए वर्तमान में उपलब्ध परिवेश एवं बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर किये जाने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए शासन के द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में "महाविद्यालयीन पंचमुखी विकास कार्यक्रम" कियान्वित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नांकित घटकों पर प्राथमिकता के आधार पर सभी शासकीय महाविद्यालयों में आवश्यक कार्य सुनिश्चित किया जावे।

1. स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था :-

आमतौर पर देखने में आया है कि महाविद्यालयों में शौचालय की स्थिति जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहती है तथा इनकी मरम्मत का कार्य समय पर नहीं हो पाता है। अनेक महाविद्यालयों के शौचालयों में पानी की व्यवस्था भी नहीं रहती है। इससे गंदगी होने के साथ ही महाविद्यालयीन परिवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में निम्नांकित व्यवस्थायें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जावे –

1. महाविद्यालय में पुरुष एवं महिला शौचालय पृथक-पृथक अनिवार्य रूप से हों तथा शौचालयों में सतत् जल आपूर्ति की व्यवस्था हो।
2. शौचालय स्वच्छ एवं साफ हों एवं यदि कही मरम्मत की आवश्यकता हो तो तत्काल कराया जाये।
3. महाविद्यालय में यदि स्वच्छक (Sweeper) की व्यवस्था ना हो तो अंशकालिक स्वच्छक की व्यवस्था की जाये। अंशकालिक स्वच्छक हेतु भुगतान जनभागीदारी समिति मद से किया जा सकता है अथवा स्थानीय निकाय का सहयोग लिया जा सकता है।
4. शौचालयों में उचित प्रकाश तथा वेंटीलेशन की व्यवस्था हो एवं ऐर प्रूरीफायर जैसे ओडोनील आदि का नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
5. शौचालय में किसी प्रकार का दीवार लेखन, पान गुटका आदि पीक थूकने जैसे कार्य न हो, इस संबंध में उचित निगरानी की व्यवस्था रखा जावे तथा इसका उल्लंघन करने वाले पर समुचित कार्रवाई की जावे।

2. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था :-

शासन की अपेक्षा है कि महाविद्यालयों में साफ एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध हो। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था ना केवल छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों के लिये हो, वरन्

आंगतुकों के लिये भी हो। इस हेतु महाविद्यालय में आवश्यक रूप से स्वच्छ पेयजल हेतु आरओ०सिस्टम जैसे प्यूरीफायर लगाया जाये। विदित हो कि इस व्यवस्था में लागत ज्यादा नहीं आती है, इसका ध्यान रखा जाये तथा इसका वार्षिक अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया जावे। इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति महाविद्यालय को प्राप्त होने वाले आकर्षिक निधि से अथवा जनभागीदारी मद की राशि से की जा सकती है।

3. महाविद्यालय का रंग-रोगन :-

शासन की अपेक्षा है कि महाविद्यालय भवन, कैण्टीन, लाईब्रेरी, छात्रावास एवं सभी कक्षों जा नियमित रंग-रोगन कराया जाये। महाविद्यालय परिसर में कही भी पान की पीक या अन्य गंदगी ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाये। महाविद्यालय के सभी कक्षों में महापुरुषों की तस्वीरें लगायी जाये एवं प्रेरणादायी स्लोगन लिखे जाये। प्रयोगशालाओं में संबंधित विषय के वैज्ञानिकों को तस्वीरें भी लगायी जाये।

रंग-रोगन यथा संभव लोक निर्माण विभाग से कराया जाये एवं लोक निर्माण विभाग के द्वारा नहीं किये जाने की दशा में प्राचार्य अपने स्तर पर जन-सहयोग से अथवा जिला कलेक्टर के परामर्श से अन्य एजेंसी से यह कार्य करायेंगे। महाविद्यालय के भवन से महाविद्यालय की छवि प्रतिविबित होनी चाहिये।

महाविद्यालय में महाविद्यालय का नाम ग्लो साईन बोर्ड से प्रमुख रूप से परिलक्षित होना चाहिये। इसके साथ ही दरवाजा, खिड़की, फर्श आदि का मरम्मत भी तत्काल कराया जावे। महाविद्यालय परिसर को हरा-भरा रखा जावे, फूलों के गमले रखे जावे। प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि महाविद्यालय के सभी कक्षों में विद्युत की व्यवस्था हो एवं सभी पंखे चलित अवस्था में हो। महाविद्यालय के कक्षों की भी नियमित रूप से साफ-सफाई करायी जावे। इन सभी कार्यों को महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कराया जा सकता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर लोक निर्माण विभाग, रथानीय उद्योगपतियों, समाजसेवी संस्थाओं की भी सहायता ली जा सकती है। एन०एस०एस / एन०सी०सी० का सहयोग भी इस संबंध में लिया जा सकता है। कक्षों में मकड़ी के जाले, टूटे फूटे फर्नीचर, असुरक्षित बिजली की लाईन आदि किसी भी दशा में नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जावे।

4. अकॉर्डमिक ऑडिट :-

यह देखने में आया है कि कई महाविद्यालय समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं करा पाते हैं। अकॉर्डमिक कैलेण्डर का पालन करते हुए छात्रों की समय पर उपरिथिति, प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों की समय पर उपरिथिति एवं महाविद्यालयीन कर्मचारियों की नियमित उपरिथिति भी सुनिश्चित करने की जवाबदारी महाविद्यालय के प्राचार्य की है। शासन की अपेक्षा है कि सभी विषयों के सिलेबस को अनिवार्य रूप से रामय पर पूर्ण कराया जावे एवं यदि कहीं सिलेबस छूट गया है तो इसके लिये अतिरिक्त कक्षा लगायी जाये। शासन की यह भी अपेक्षा है कि यदि आपके महाविद्यालय में किसी विषय विशेष के प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक नहीं हैं, तो निकट के अन्य महाविद्यालय से उक्त विषय के प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की सेवायें सप्ताह में एक या दो दिन के लिये लेकर पाठ्यक्रम को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिये प्राचार्य प्रतिमाह महाविद्यालय के प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों की बैठक लेकर स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे।


यह भी सुनिश्चित किया जावे कि महाविद्यालय में किसी भी विषय के संदर्भ में कुंजी/गाईड आदि का उपयोग न हो। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित प्राचार्य की जवाबदारी सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही की जावेगी। महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अपेक्षा अनुसार रिराच एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों जैसे वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे आयोजनों को बढ़ावा दिया जाये जिससे छात्रों का व्यक्तित्व विकास उचित ढंग से हो सके। सभी महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं के मार्गदर्शन के

लिये "प्लेसमेंट तथा गाईडेंस सेल" की स्थापना अनिवार्य रूप से की जावे एवं इस हेतु एक सहायक प्राध्यापक को जवाबदारी सौंपी जाये। साथ ही आई0क्यू0ए0सी0 अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाये एवं समय-समय पर अकॉदमिक गुणवत्ता की समीक्षा की जावे एवं महाविद्यालय का वार्षिक परीक्षाफल वेब-साईट पर एवं सूचना फलक पर प्रदर्शित किया जावे।

5. महाविद्यालय में वाई-फाई की सुविधा :-

सूचना प्रौद्यौगिकी के युग में महाविद्यालयीन छात्र-छात्राएँ अपने आप को समयानुकूल तैयार कर सके, इस हेतु महाविद्यालय में वाई-फाई की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जावे। पूर्व में एन0एम0ई0आई0सी0टी0 योजना अंतर्गत कई महाविद्यालयों में ब्राउबैण्ड की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इस वर्ष 50 महाविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिप्स को धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी है। अनेक महाविद्यालयों ने अपने संसाधनों से भी वाई-फाई की सुविधा प्रारंभ की है। वाई-फाई की सुविधा प्रदान करने के लिये पूरे परिसर को वाई-फाई किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रथम चरण में सीमित संसाधनों के अंतर्गत हॉट-स्पॉट चिह्नित कर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करायी जावे। वाई-फाई सेवा का दुरुपयोग ना हो एवं इसका उपयोग विशुद्ध रूप से शैक्षणिक एवं रोजगारपरक कार्यों के लिये हो, यह भी ध्यान रखा जावे एवं इस हेतु आवश्यक उपाय किया जावे।

"महाविद्यालयीन पंचमुखी विकास कार्यक्रम" अंतर्गत उपरोक्त 5 घटकों में परिणाम मूलक कार्यवाही आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे। इसकी जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। प्राचार्य इस हेतु अपने जिले के कलेक्टर का सहयोग ले सकेंगे, इस उद्देश्य से इस पत्र की प्रति जिला कलेक्टर्स एवं संभाग आयुक्तों को भी पृष्ठांकित की जा रही है। प्राचार्य अपने वार्षिक मूल्यांकन पत्रक में मूल्यांकन हेतु उपरोक्त 5 घटकों में किये गये कार्यों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करेंगे। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाकर इसे एक निरंतर कार्यक्रम बनाया जाए।


 (डॉ०बी०एल०अग्रावाल)
 प्रमुख सचिव
 छ०ग० शासन
 उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठा०क्र० / / 2016 / 38-1,
 प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 31/3/2016

1. प्रमुख सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर,
2. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
5. समस्त संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़,
6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
7. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़,


 प्रमुख सचिव
 छ०ग० शासन
 उच्च शिक्षा विभाग